संख्या-21/2020/ 463/12-5-2020-सा0-01/2019

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

कृषि अनुभाग-5 लखनऊः दिनांकः 30 अप्रैल, 2020

विषयः- पी0एम0 किसान योजना के अन्तर्गत शिकायतों के निराकरण के संबंध में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में शिकायत निवारण समिति का गठन।

महोदय,

कृपया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पी0एम0-किसान) योजना के क्रियान्वयन के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या-19/2020/ 462/12-5-2020-सा0-01/2019, दिनांक 24 अप्रैल, 2020 एवं शासनादेश संख्या-20/2020/ 462ए/12-5-2020-सा0-01/2019, दिनांक 25 अप्रैल, 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा पी0एम0 किसान योजना का लाभ पाने से वंचित किसानो की समस्याओं के निराकरण के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किये जा चुके है, जिसके अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए योजना के अवशेष लाभार्थियों को योजना का लाभ अनुमन्य कराये जाने के निर्देश दिये गये है।

2- भारत सरकार के दिशा निर्देश में यह स्पष्ट व्यवस्था है कि पी0एम0 किसान के संबंध में शिकायतों की सुनवाई व निस्तारण की सुदृढ़ व्यवस्था जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में की जायेगी। यह देखने में आ रहा है कि अभी भी बहुत बड़ी संख्या में किसानों द्वारा शिकायते दर्ज कराई जा रही है, जिनका निस्तारण नहीं हो सका है। ऐसी शिकायत ज्यादा है जहॉ प्रार्थना पत्र स्वीकृत नहीं हुये है तथा अभिलेखों में जो त्रुटियाँ थी उनके निराकरण के बावजूद भी भुगतान नहीं हो रहा है। अतः इस प्रकार की समस्त शिकायतों के निराकरण के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक शिकायत निवारण समिति गठित की जायेगी, जो सभी शिकायतों को सूचीबद्ध करते हुए उनका समयबद्ध निराकरण करेंगी तथा शिकायतकर्ता को भी जानकारी देगी।

3- कृपया तदनुसार शिकायत निवारण समिति का गठन करते हुए शिकायत निवारण के लिए स्थापित कन्ट्रोल रूम का नम्बर सार्वजनिक प्रचार माध्यमों के द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार करने के साथ ही कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश को उनके ईमेल आई0डी0-dirag@nic.in पर उपलब्ध कराते हुए शिकायतों का समयबद्ध निराकरण करने व उसकी जानकारी शिकायतकर्ता को भी देने की कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय
डा0 देवेश चतुर्वेदी
प्रमुख सचिव।

संख्या-21/2020/463(1)/12-5-2020-सा0-01/2019, तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2- कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7- कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश,लखनऊ।
8- समस्त उप कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश ।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से
बृजराज सिंह यादव
विशेष सचिव।